उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए जाने वाले दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन के लिए महत्वपूर्ण सूचना

सत्र 2020–21 में ऑनलाइन नवीनीकरण (RENEWAL) करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए

अंतिम तिथि – 05 नवम्बर 2020

इस स्कालरशिप फार्म के नवीनीकरण हेतु वे सभी छात्र/छात्राएँ पात्र होंगे जिन्होंने गतवर्ष (2020–21) में ऑनलाईन आवेदन किया था यद्यपि उन्हे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो अथवा प्राप्त न हुई हो।

1. वर्ष 2020–21 में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतू आवेदन का नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा जिसे **छात्र/छात्राओं को स्वयं भरना है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म में विश्वविद्यालय पंजीयन कमांक (Enrollment No.) अवश्य फीड करेंगे।**
2. जिन आवेदकों का छात्रवृत्ति फार्म किसी भी कारणवश संस्था द्वारा गतवर्ष अग्रसारित (Forward) नहीं किया गया था ऐसे आवेदक (यदि इस वर्ष पात्र हैं), नवीन (Fresh) ऑनलाइन फार्म फीड करेंगे।
3. इन्टरमीडिएट(10+2)के आधार पर प्रवेशित आवेदकों का इन्टरमीडिएट (10+2) में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है । साथ ही वर्तमान सत्र में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
4. आवेदन फार्म भरने से पूर्व छात्र/छात्राओं द्वारा निम्न तैयारियाँ जरूरी है :

- सर्वप्रथम छात्र/छात्राएँ स्वयं के नाम पर बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक करायें। जनधन खाता मान्य नहीं होगा। आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड होना अनिवार्य है। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे।
- **आय प्रमाण पत्र** तहसीलदार द्वारा आवेदक के माता/पिता/अभिभावक के नाम का, गतवर्ष के आवेदन के साथ संलग्न किया हुआ, मान्य होगा यद्यपि वह तीन वर्ष पूर्व का जारी किया गया ही क्यों न हो। **आय का स्रोत** स्पष्ट लिखा होना चाहिए जैसे–कृषि, नौकरी, मजदूरी आदि (आय का स्रोत "**समस्त स्रोतों से**" मान्य नही होगा)। प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमाण–पत्र सत्यापन वाले वेबसाईटों पर प्रदर्शित/सत्यापन होना अनिवार्य है।
- गतवर्ष के आवेदन के साथ संलग्न, छात्र के नाम तहसीलदार द्वारा निर्गत **जाति प्रमाण पत्र** (OBC, SC तथा ST छात्र/छात्राओं के लिए) तथा **निवास प्रमाण पत्र** मान्य होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमाण–पत्र सत्यापन वाले वेबसाईटों पर प्रदर्शित/सत्यापन होना अनिवार्य है।
- काउन्सलिंग लेटर यदि दाखिला काउन्सलिंग के द्वारा हुआ है।
- गतवर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट, संस्थान में जमा फीस की रसीद व हास्टल फीस की रसीद ।

5. फोटो अपलोड करते समय अपने नवीनतम फोटो के नीचे हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
6. इन सभी अभिलेखो/दस्तावेजो को एकत्र कर **http://scholarship.up.gov.in/** वेबसाईट पर स्टूडेन्ट सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन (2020–21) में अपनी कैटेगरी के अनुसार Postmatric Other then Intermediate (RENEWAL) के लिंक पर Click करके सत्र 2019–20 का रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि व मोबाइल नं0 फीड कर इस

12/08/2020

सत्र का नया रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करें । रजिस्ट्रेशन सम्पन्न होने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट निकाल लें, वेरिफिकेशन कोड व रजिस्ट्रेशन नम्बर सुरक्षित कर लें (कहीं नोट कर लें)।

7. रजिस्ट्रेशन के बाद पुनः **http://scholarship.up.gov.in/** पर स्टूडेन्ट सेक्शन में जाकर Student Login लिंक से लॉगिन करके अपना विस्तृत विवरण ध्यानपूर्वक अपडेट कर सबमिट करें । यदि फार्म भरने में पूर्व में कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो इसी स्थान पर सुधार सकते है। शुल्क संबन्धित विवरण में संलग्न सूची के अनुसार ही फीस की राशि फीड करेंगे।

8. सबमिट करने के बाद स्कैन फोटो अपलोड करें।

9. जॉच के लिए आवेदन पत्र को **"जॉच हेतु आवेदन प्रिंट करें"** लिंक से प्रिंट निकाल कर स्वयं ध्यानपूर्वक जॉच लें । आवेदन की जाँच से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात **"जांच के उपरान्त आवेदन पत्र सबमिट करें"** के लिंक पर क्लिक करें। इस स्थिति के बाद आवेदक का फार्म स्वतः ही लॉक हो जायेगा तथा फिर किसी भी संशोधन की संभावना नहीं रहेगी। तीन कार्यदिवस के बाद **"संस्था हेतु आवेदन प्रिन्ट करें"** के लिंक पर क्लिक करके फाइनल प्रिन्ट निकाल लें।

10. संस्थान हेतु आवेदन प्रिंट करने के बाद निम्न दस्तावेजों/अभिलेखों को कमवार संलग्न कर दो सेट (एक–ओरिजिनल व एक – फोटो कॉपी सेट) तैयार कर ओरिजिनल सेट संस्थान में जमा करें तथा फोटो कॉपी सेट भविष्य के लिए अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें।
    - ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वयं तथा अभिभावक के द्वारा हस्ताक्षरित।
    - आय/निवास/जाति प्रमाण पत्र व उनकी सत्यापन कॉपी (सामान्य व अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है)।
    - छात्र व अभिभावक के द्वारा हस्ताक्षरित व Notary कराया हुआ शपथ पत्र की **मूल प्रति** (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर)।
    - केवल अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र/छात्रायें रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर स्वयं तथा अभिभावक के द्वारा हस्ताक्षरित व Notary कराया हुआ Agreement की **मूल प्रति** संलग्न करेंगे।
    - बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की सुस्पष्ट व पठनीय।
    - काउन्सलिंग लेटर यदि प्रवेश काऊन्सलिंग के आधार पर हुआ है।
    - संस्थान में जमा फीस टयूशन फीस तथा हॉस्टल फीस की रसीद (संस्थान के छात्रावास में निवास करने वाले छात्र सिर्फ छात्रावास की फीस की रसीद **ही** लगायें)।
    - हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट, (PG Course के आवेदकों को डिप्लोमा/डिग्री कोर्स की मार्कशीट) व गतवर्ष की मार्कशीट।
    - कॉलेज आई0डी0 कार्ड व पिता, माता एवं स्वयं का आधार कार्ड।
    - आनलाइन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों की प्रतिलिपियां **(फोटो कॉपी) Self Attested** होने चाहिए।

आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से Admin Department, KIET Group of Institutions में स्वीकार किये जायेंगे। संस्थान के समीप रहने वाले छात्र/छात्राऐं किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक संस्थान में स्वंय आकर अपना फार्म सबमिट कर सकते हैं। सभी छात्र हार्डकॉपी जमा करने से पहले संलग्न दस्तावेजों एवं फार्म को भली भांती स्वयं जांच लें। दस्तावेजों में कमी पाये जाने पर फार्म आगे अग्रसारित नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की त्रुटि के लिए छात्र स्वंय उत्तरदायी होंगे।

विशेष जानकारी एवं दिशा निर्देश हेतु विभागीय वेबसाईट http://scholarship.up.gov.in/ तथा https://www.kiet.edu/Scholarship-Circulars से जानकारी प्राप्त करते रहें।

17/08/2020